बहरोड

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)

तकाल अपील : 216/2023 (12/96/2023)

तारीख रजू : 21.09.2023 (27.07.2023)

निर्णय दिनांक : 23.07.2024

उनवान

1. उमरावलाल पुत्र दाताराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम दोसोल तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़ राज.। – अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़ राज. – रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड़ दिनांक 11.07.2019

उपस्थितः–

01. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।

02. पैरोकार सरकार उपस्थित।

––:: निर्णय ::––

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त उनवानी पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 21.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये एवं तहत का रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 11.07.2019 प्रकरण संख्या 10/2019 जिसके द्वारा प्रार्थना बेदखल किए जाने एवं लगान की 50 गुणा पैनल्टी वसूल किए जाने की आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया।

अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि पटवारी हल्का दोसोद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की कि संवत् 2076 ग्राम दोसोद के आराजी खसरा नम्बर 605 कुल रकबा 0.05 किस्म चारागाह में से 0.02 हैक्टेयर पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण दर्ज कर मिन अपीलान्ट के पीछे से बिना सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 11–07–2019 को मिन अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेजा तौर पर अतिक्रमी मानते हुए आराजी खसरा नम्बर 605 रकबा 0.02 किस्म चारागाह वाके ग्राम दोसोद से भौतिक रूप से बेदखल करने व 0.14 गुणा 50 राशि 07 रूपये के दण्ड से दण्डित करने का बेजा आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया हुआ है और ना ही अपीलान्ट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। चूँकि विवादित भूमि कोई चारागाह की नही रही है बल्कि आबादी की भूमि रही है, जिसमें मिन अपीलान्ट को विधिवत विकास अधिकारी ने रिहायश के लिए दिनांक 21–12–1974 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पटटा) जारी किया हुआ है। जिसमें अपीलान्ट 1974 से ही मकान बना कर निवास कर रहा है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट के मकान के चारो तरफ काफी लोगो के मकानात बने हुए है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 605 में सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, पटवार घर, कृषि पर्यवेक्षक का कार्यालय बना हुआ है जो सभी अरसे दराज से बने हुए है। इसके अतिरिक्त करीब 20–25 व्यक्तियों के मकानात बने हुए है। अपीलान्ट की पटटाशुदा भूमि में पक्का मकान बना हुआ है और अपने परिवार सहित रिहायश करता चला आ रहा है तथा मिन अपीलान्ट ने उक्त मकान में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से जल कनेक्शन प्राप्त किया हुआ है व बिजली का कनेक्शन भी प्राप्त किया हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह कतई तथ्यो व मौके के विपरीत प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त रिपोर्ट अपीलाण्ट से रंजिशवश प्रस्तुत की है।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत तामील नही करायी है तथा जो तामील है उस पर फर्जी हस्ताक्षर कर तामील की गई है। इस तामील पर मिन अपीलान्ट कोई हस्ताक्षर नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मौका मुआयना भी नही किया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई सक्ष्य/सबूत पेश करने का अवसर नही दिया गया है। अतः इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2019 निरस्त फरमाया जावे।

विभागीय पैरोकार सरकार का तर्क है कि सम्वत 2076 ग्राम दोसोद के आ०ख०न० 605 रकबा 3.05 किस्स चारागाह में से 0.02 है0 पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है। जिससे राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दर्ज कर अतिक्रमी को धारा 91(3) एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विधिवत् नोटिस जारी किये जाने उपरान्त भी अतिक्रमी अनुपस्थित रहा। अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत अतिक्रमी उमरावलाल पुत्र दाताराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम दोसोल तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़ राज. को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित भूमि ख०न० 605 रकबा 0.02 है0 किस्म गै.मु. रास्ता वाके ग्राम दोसोद से भौतिक रूप से बेदखल किये जाकर भू राजस्व का 0.14 का पच्चास गुणा राशि 07 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार उक्त अतिक्रमण बाबत पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार विधिवत एवं सही तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, कानून की मंशा देखी गई एवं बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा–91 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है। अतः बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलान्ट के विरूद्ध पारित आदेश निरस्त किया जाना उचित समझते है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार नीमराना का निर्णय दिनांक 11.07.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिपेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति पत्रावली में संलग्न की जावें। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
कोटपूतली-बहरोड़ (राज.)

(कल्पना अग्रवाल)

आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़